

# हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

## चतुर्थ सत्र

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2023/1 पौष, 1945(शक्)

## 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

## 1. प्रश्नोत्तरः

(1) तारांकितः



## (2) अतारांकित :

- (i) स्थगित      (ii) दिन के लिए } पृथक् सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

## 2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) डॉ० (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक अधिनियम, 1971 की धारा 19-क (3) के अन्तर्गत हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, काँगड़ा का 25वां व 26वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्ष 2017-18)(वर्ष 2018-19) (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(2) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय), ग्रुप-सी भर्ती और प्रोन्ति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0डी0एन0-ए-क (3)-5/2021-एल, दिनांक 06.12.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 14.12.2023 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21) (विलम्ब के कारणों सहित)।

(3) श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक), ग्रुप-सी, (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्ति (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या:पीबीडब्ल्यू-एबी (6)-2/2015, दिनांक 14.07.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 22.07.2023 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

1. श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2023-24), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
  - (i) समिति का 66वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 247वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
  - (ii) समिति का 67वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 249वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
  - (iii) समिति का 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 250वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है; और
  - (iv) समिति का 69वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 251वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है।
2. श्री राजेन्द्र राणा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2023-24), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
  - (i) समिति का 13वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 52वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 14वां कार्वाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 62वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्वाई पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है।

#### 4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- (1) श्री पवन कुमार काजल, “गगल हवाई अड्डे/पट्टी के अतिरिक्त निर्माण से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।”
- (2) श्री होशयार सिंह, “to call the attention of the Chief Minister to the objection of Draft Policy of eco-sensitive zone on Pong Dam wild life sanctuary.”

#### 5. विधायी कार्य:

##### सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) श्री सुखविन्दर सिंह सुखबू, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 22) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(ii) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 21) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(iii) श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 23)

प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

## 6. सरकारी संकल्प:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, नियम-102 के अन्तर्गत प्रस्ताव करेंगे कि:

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण) अधिनियम 1974 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 6) में हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को सम्मिलित किया जाए।"

## 7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) श्री केवल सिंह पठानिया, प्रस्ताव करेंगे कि:

“प्रदेश में इस वर्ष भारी बरसात के कारण हुए नुकसान से सरकार द्वारा पुर्नवास हेतु किये गये कार्यों बारे यह सदन विचार करे।”

(2) श्री विपिन सिंह परमार, प्रस्ताव करेंगे कि:

“प्रदेश की कानून व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।”

**8. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:**

- (1) श्री विपिन सिंह परमार, "दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1047 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"
- (2) श्री बिक्रम सिंह, "दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1062 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

**धर्मशाला-176215**

**दिनांक: 21 दिसम्बर, 2023**

**(यशपाल शर्मा)**

**सचिव।**

\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, को भी जांच कर लें)